प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 1656/2024

रवि खांडेकर पिता स्व. बुधराम खांडेकर उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी.ग्राम – देवनगर, पी.एस. कोनी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पी.एस. तारबहार के द्वारा , जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

---उत्तरवादी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 1954/2024

साहिल उर्फ शिबू खान, पिता श्री मुख्तार खान, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम देवनगर, पुलिस थाना कोनी, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

-- अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा , पुलिस थाना तरबहार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 1696/2024

अभिषेक दान, पिता यशवंत दान, आयु लगभग 20 वर्ष, निवासी वाटर टैंक के पास, तारबहार, थाना तारबहार, जिला—बिलासपुर छत्तीसगढ़।

--- अपीलकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा , पुलिस थाना तरबहार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादी

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थी हेतु(दाण्डिक अपील सं 1656/2024) :- श्री राजेश जैन, अधिवक्ता

अपीलार्थी हेतु(दाण्डिक अपील सं 1696/2024) :- श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता

अपीलार्थी हेतु(दाण्डिक अपील सं 1954/2024) :- श्री संतोष भरत, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य हेतु :- श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभु दत्ता गुरु,न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार

15.12.2025

1. हमने सीआरए संख्या 1656/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश जैन, सीआरए संख्या 1696/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम खेतरापाल, सीआरए संख्या 1954/2024 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष भरत और राज्य/उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शंशांक ठाकुर के तर्क को सुना ।

2. चूंकि ये सभी दाण्डिक अपीलें, अर्थात् सीआरए संख्या 1656/2024, सीआरए संख्या 1696/2024 और सीआरए संख्या 1954/2024, एक ही अपराध से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है, एक साथ सुना गया है तथा इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निर्णय किया जा रहा है।

3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सीआर.पी.सी.') की धारा 374(2) के तहत ये दाण्डिक अपीलें बिलासपुर जिले (सी.जी.) के माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 121/2022 में दिनांक 23.08.2024 को पारित दोषसिद्धि तथा दंड के आदेश के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को निम्नानुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया है:-

दोषसिद्धि	दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363 के अंतर्गत	**07 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर, एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।**
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364A के अंतर्गत	**आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर, छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।**
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 387 के अंतर्गत	**07 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर, एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।**
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत	**आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर, छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।**
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 सहपठित धारा 201 के अंतर्गत	**03 वर्ष का कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना; जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर, छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अन्वेषण तथा विचारण के दौरान सामने आए अभियोजन पक्ष के प्रकरण के अनुसार, 06.02.2022 को शाम लगभग 5:00 बजे, खुदीराम बोस चौक, दीपूपारा आदिवासी मोहल्ला, तरबहार, पुलिस स्टेशन तरबहार, जिला बिलासपुर (छ.ग.), में आरोपियों ने अपने सामान्य आशय को आगे बढ़ाते हुए, परिवादी के लगभग 16 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रेहान को उसके माता-पिता की वैध देखरेख से उनकी सहमति के बिना अपहरण कर लिया। आरोप यह था कि मोहम्मद रेहान के माता-पिता को फिरौती देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से अपहरण किया गया था, और उस उद्देश्य के लिए, आरोपियों ने माता-पिता को उनके पुत्र की मृत्यु का भय दिखाया था। अपने सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, आरोपियों ने मोहम्मद रेहान पर हमला करके और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी, जो कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है. इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि, यह जानते हुए कि उक्त कृत्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है,तथा स्वयं को

विधिक दंड से बचाने के आशय से, आरोपियों ने मोहम्मद रेहान के शव को एक बोरी में डालकर मननपुर राजमार्ग के पास एक पुलिया के नीचे छिपा दिया, जिससे अपराध के साक्ष्य गायब किया गया।

5. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि 06.02.2022 को परिवादी आसिफ मोहम्मद (पी डब्लू-1) ने तरबहार पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी दिन शाम लगभग 5:30 बजे उनका पुत्र मोहम्मद रेहान खुदीराम बोस चौक, दीपूपारा आदिवासी मोहल्ला, तरबहार के पास स्थित एक दुकान से चिप्स खरीदने गया था और घर नहीं लौटा। आस-पड़ोस में और अपने पुत्र के मित्रों से पूछताछ करने के बावजूद, उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे यह संदेह पैदा हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया है।

6. उक्त रिपोर्ट के आधार पर, तरबहार पुलिस थाना में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान, 06.02.2022 को रात लगभग 11:15 बजे, परिवादी के मोबाइल फोन पर अपहृत लड़के के मोबाइल फोन से एक कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने कहा कि उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए 50,00,000 रुपये की फिरौती की मांग की।

7. अन्वेषण के दौरान, अपहृत लड़के के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर, आरोपी अभिषेक दान का ज्ञापन बयान दर्ज किया गया। जिसमें उसने खुलासा किया कि उसने सह-आरोपी साहिल उर्फ शिबू खान और रवि खांडेकर के साथ मिलकर मोहम्मद रेहान का अपहरण किया था और उसके पिता आसिफ मोहम्मद से 50,00,000 रुपये की फिरौती मांगी थी, और उसके बाद मोहम्मद रेहान की हत्या कर दी थी और उसके शव को एक बोरी में डालकर मननपुर राजमार्ग के पास एक पुलिया के नीचे छिपा दिया था। उक्त खुलासे के तहत, आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 364-ए, 386, 302, 201, 120-बी के तहत अपराध जोड़े गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. रतनपुर पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज किया गया और शव परीक्षण की कार्यवाही की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटनास्थल से खून से सने बोरे और एक खाली बोरा बरामद किया गया। बिलासपुर जिले के तरबहार पुलिस थाना में भी एक क्रमांकित प्रकरण दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/23) के अनुसार, मोहम्मद रेहान की मृत्यु गला घोंटने से दम घुटने के कारण हुई और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। घटना के समय मृतक द्वारा पहने गए कपड़े, उसकी कलाई घड़ी और आरोपी द्वारा हत्या में कथित रूप से इस्तेमाल की गई बेल्ट को जब्त कर लिया गया था। परिवादी और अन्य साक्षी के बयान दर्ज किए गए और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया था।

9. अन्वेषण के दौरान, आरोपी रवि खांडेकर से एक सैमसंग मोबाइल फोन और एक रियलमी मोबाइल फोन जब्त किया गया, और आरोपी अभिषेक दान से पंजीकरण संख्या CG-10 ER-1246 वाली एक चांदी के रंग की यामाहा मोटरसाइकिल और एक रियलमी मोबाइल फोन जब्त किया गया। जब्त की गई वस्तुओं को क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, बिलासपुर भेजा गया, और प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वस्तु 'ए' पर मानव रक्त पाया गया। अन्वेषण पूरी होने पर, आरोपी अभिषेक दान, साहिल उर्फ शिबू खान और रवि खांडेकर को 07.02.2022 को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दे दी गई थी।

10. अन्वेषण पूरी होने के बाद, अभियुक्तों के विरुद्ध बिलासपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया। चूंकि ये अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थे, इसलिए प्रकरण

बिलासपुर के माननीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को सौंप दिया गया, और उसके बाद स्थानांतरण होने पर, इसे बिलासपुर के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को सुनवाई और विधिवत निराकरण हेतु सौंप दिया गया।

11. अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 363, 364-ए, 387, 302 (धारा 34 के साथ) और धारा 201 (धारा 34 के साथ) के तहत आरोप निर्धारित किया गया , जिन्हें उन्हें पढ़कर समझाया गया। अभियुक्तों ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा विचारण की मांग की।

12. अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने पी डब्लू 1 से 13 तक 13 साक्षी की परीक्षा की है और क्रमशः 43 दस्तावेज़ (एक्स पी/1 से एक्स पी/43 तक) तथा 4 वस्तुएं अर्थात आर्टिकल ए1, सी/1सी, सी/2सी से सी/4) प्रदर्शित की हैं, जबकि बचाव पक्ष में, अपीलकर्ताओं/आरोपियों ने कोई गवाह पेश नहीं किया है और केवल एक दस्तावेज़ (अर्थात एक्स पी/1) प्रदर्शित किया है।

13. जब आरोपियों से दं. प्र. सं. कि धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपने बचाव में साक्षी पेश करने से इनकार किया और दावा किया कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है।

14. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, अपने दिनांक 23.08.2024 के निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के तीसरे कंडिका में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया तथा दंड पारित किया गया, जिसके विरुद्ध अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत ये दाण्डिक अपीलें दायर की हैं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अपीलकर्ता रवि खंडेकर (सीआरए संख्या 1656/2024) के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध दोष सिद्ध करते समय साक्ष्य और तथ्यों का मूल्यांकन करने में गंभीर त्रुटि की है।यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश यह विचार करने में विफल रहे किअपीलकर्ता ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 7 के साथ धारा 2(के) के तहत अपनी आयु निर्धारित करने के लिए आवेदन दायर किया था। जांच करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने 29.07.2022 को प्रकरण को बिलासपुर के किशोर न्याय बोर्ड को विधिवत जांच करने के लिए भेज दिया गया। ऐसी जाँच के बाद, किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि घटना के समय अपीलकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक थी, और तदनुसार 10.07.2023 को प्रकरण को संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया। इसके बाद, 12.07.2023 को अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया।

16. श्री जैन ने आगे यह भी तर्क दिया है कि जिस अवधि में आयु संबंधी जांच लंबित थी, उस दौरान सह-आरोपी अभिषेक दान और साहिल उर्फ शिबू खान पर वाद चला और अभियोजन पक्ष के साक्षी पी.डब्ल्यू.-1 से पी.डब्ल्यू.-9 की परीक्षा की गई।हालांकि, वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय होने के बाद, केवल पी.डब्ल्यू 1 आसिफ मोहम्मद और पी.डब्ल्यू 6 शेख आलम की ही परीक्षा की गई, जबकि पी.डब्ल्यू 2, पी.डब्ल्यू 3, पी.डब्ल्यू 4, पी.डब्ल्यू 5,पी.डब्ल्यू 7, पी.डब्ल्यू 8 और पी.डब्ल्यू 9 की परीक्षा नहीं की गई। इसके बाद, और इसलिए, उनके बयानों को वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि माननीय विचारण न्यायालय के न्यायाधीश ने मेमोरेंडम और ज़ब्ती के साक्षी अर्थात पी.डब्ल्यू-3 आनंद गुप्ता और पी.डब्ल्यू-7 तनवीर मोहम्मद के बयानों पर भरोसा करके एक गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि आरोप निर्धारित होने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध उनकी परीक्षा नहीं की गई थी।इसके बाद, उनके बयानों को वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण

न्यायालय के न्यायाधीश ने ज्ञापन और ज़ब्ती साक्षी, अर्थात् पीडब्ल्यू-3 आनंद गुप्ता और पीडब्ल्यू-7 तनवीर मोहम्मद के बयानों पर भरोसा करने में गंभीर त्रुटि की है, क्योंकि अभियोग निर्धारित होने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध उनकी परीक्षा नहीं की गई थी। यह तर्क भी दिया गया है कि अन्वेषण अधिकारियों, पी.डब्ल्यू-11 जय प्रकाश गुप्ता और पी.डब्ल्यू-14 हरविंदर सिंह के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। पी.डब्ल्यू-11 ने कहा कि बरामदगी पंचनामा 07.02.2022 को सुबह लगभग 09:10 बजे तैयार किया गया था और पहचान पंचनामा उसी दिन सुबह लगभग 09:20 बजे तैयार किया गया था; जबकि पी.डब्ल्यू-14 ने कहा कि वह मर्ग सूचना दर्ज होने के 20-25 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचा था (जो सुबह लगभग 09:30 बजे दर्ज की गई थी), और उसने नक्शा पंचनामा (एक्स पी//4) सुबह 10:45 बजे से 11:40 बजे के बीच तैयार किया था, जिसके बाद मृतक के पिता ने शव की पहचान की।पी.डब्ल्यू-14 ने आगे कहा कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो मृतक का शव पहले से ही पुल के नीचे एक बोरे में पड़ा हुआ था; जिससे यह पता चलता है कि शव की बरामदगी, अभियुक्तों द्वारा किए गए किसी भी खुलासे से पहले, या उससे स्वतंत्र रूप से हुई थी।

17. श्री जैन ने यह भी कहा कि पी.डब्ल्यू 1 के बयान के कंडिका 13 के अनुसार, अन्वेषण अधिकारी को ज्ञापन बयान दर्ज करने से पहले ही यह जानकारी थी कि मृतक का शव पुल के नीचे पड़ा हुआ है।इसलिए, शव की बरामदगी को आरोपी व्यक्तियों द्वारा दी गई किसी भी सूचना का परिणाम नहीं कहा जा सकता है।यह भी तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के कहने पर मृतक के मोबाइल फोन की कथित बरामदगी विधिवत सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि आईएमईआई नंबर कॉल डिटेल अभिलेख से मेल नहीं खाता है और उक्त मोबाइल फोन को कभी भी मृतक के पिता के सामने पहचान के लिए पेश नहीं किया गया था। उनका कहना है कि अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत संबंधित प्राधिकारी या साक्षी से अनिवार्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहा है, और इसलिए, पेन ड्राइव में संग्रहीत डेटा और कॉल विवरण अभिलेख सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विधि की दृष्टि से अस्वीकार्य है। अपीलकर्ता को मुख्य रूप से अन्वेषण अधिकारी के बयान के आधार पर दोषी ठहराया गया है, जो विधि अस्वीकार्य है। अपीलकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, और दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, जिनकी श्रृंखला अपूर्ण और अपर्याप्त है, जिससे अपीलकर्ता का अपराध संदेह से परे साबित नहीं हो पाता। अतः, दोषसिद्धि का यह निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सी.आर.ए. संख्या 1696/2024 में अपीलकर्ता-अभिषेक दान के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम खेतरापाल ने निवेदन किया कि दिनांक 23.08.2024 का आक्षेपित निर्णय विधि और प्रकरण की परिस्थितियों के विपरीत है तथा यह अपास्त किये जाने योग्य है।यह तर्क दिया गया है कि माननीय विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को केवल अटकलों और अनुमानों के आधार पर दोषी ठहराकर विधि की एक गंभीर त्रुटि की है, जबकि अभिलेख पर कोई भी विश्वसनीय, ठोस या निर्णायक सबूत मौजूद नहीं है। माननीय विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई भी भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किया है कि अपीलकर्ता ने मृतक मोहम्मद रेहान का अपहरण किया था; और न ही ऐसा कोई सबूत है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ता ने मृतक या उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की रकम की मांग की थी।

19. श्री खेतरापाल आगे यह निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में पूरी तरह विफल रहा है कि अपीलकर्ता ने न तो मृतक मोहम्मद रेहान की हत्या की है और न ही कथित अपराध से संबंधित कोई साक्ष्य

छिपाया है। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा हत्या किए जाने का प्रथम दृष्टया प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ता को त्रुटिपूर्ण तरीके से दोषी ठहराया, जबकि कथित घटनाक्रम टूटा हुआ, अधूरा है और अपीलकर्ता के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करता है। यह तर्क दिया गया है कि माननीय विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए कोई भी ठोस, विश्वसनीय या भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किया है। महत्वपूर्ण स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और वे विरोधी हो गए, फिर भी माननीय विचारण न्यायालय ने उनके सबूतों को नज़रअंदाज़ कर दिया या उनका त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किया।अतः, अपीलकर्ता के विरुद्ध दर्ज निष्कर्ष विकृत हैं, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत हैं और उनमें उचित विचार-विमर्श का अभाव है। विद्वान विचारण न्यायालय भी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय—**अजय कुमार घोषाल बनाम बिहार राज्य, (2017) 12 SCC 699**—पर भरोसा करते हुए, श्री खेत्रपाल यह निवेदन करते हैं कि पुनर्विचार (retria□) केवल उन्हीं मामलों में उचित है जहाँ विचारण (trial) किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया हो जिसके पास क्षेत्राधिकार न हो, अथवा जहाँ विचारण किसी गंभीर अनियमितता या अवैधता से दूषित हो गया हो, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का हनन हुआ हो। '**भूरजी बनाम राज्य**' प्रकरण में की गई टिप्पणियों से समर्थन लेते हुए, यह तर्क दिया गया है कि मात्र त्रुटियाँ, चूकें या अनियमितताएँ किसी दोषसिद्धि (convictio□) को बनाए रखने का औचित्य तब तक प्रदान नहीं करतीं, जब तक कि उनके कारण न्याय की विफलता न हुई हो; और यह कि विधि ऐसी कार्यवाहियों को बनाए रखने या दोहराने को हतोत्साहित करता है, जिनके परिणामस्वरूप इस प्रकार का अन्याय होता है। प्रस्तुत प्रकरण में, एक ही प्रकरण में अभियुक्तों को अलग-अलग दोषी ठहराना—जो कि अविभाज्य और एकसमान साक्षी तथा साक्ष्यों पर आधारित है—निश्चित रूप से न्याय की विफलता और अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों के हनन का कारण बनेगा।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, ***मोहम्मद हुसैन ज़ुल्फ़िकार अली बनाम राज्य (NCT दिल्ली)*, AIR 2012 SCW 699** पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यद्यपि आपराधिक प्रकरण का शीघ्र निराकरण वांछनीय है, फिर भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त को निष्पक्ष और तटस्थ सुनवाई के बहुमूल्य अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन स्थापित सिद्धांतों पर ज़ोर दिया गया है कि अभियुक्त को चुप रहने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और निर्दोष माने जाने का अधिकार प्राप्त है; तथा अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण सभी उचित संदेहों से परे जाकर सिद्ध करना अनिवार्य है। अतः, उनका यह निवेदन है कि अभियोजन पक्ष, अपीलकर्ता के विरुद्ध अपना प्रकरण उचित संदेह से परे जाकर सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है और परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि तथा दंडादेश के विरुद्ध अपील में दिए गए निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए।

22. अपीलकर्ता साहिल उर्फ शिबू खान (सीआरए संख्या 1954/2024) के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष भरत ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय विधिवत त्रुटिपूर्ण है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेखों और साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया और उसे यह ध्यान में रखना चाहिए था कि अपीलकर्ता ने न तो कोई ऐसा कृत्य किया है और न ही उसमें भाग लिया है जिससे उस पर लगाए गए किसी भी अपराध का आरोप सिद्ध हो। विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षी के बयान में मौजूद महत्वपूर्ण विरोधाभासों और चूकों पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण दोषसिद्धि विधिवत रूप से मान्य नहीं है।

23. श्री भरत का कहना है कि अन्वेषण अधिकारी पी.डब्ल्यू.-11 के साक्ष्य को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा गया है। उसके बयान के अनुसार, मृतक और अपीलकर्ता कोनी गांव गए थे और मोहम्मद रेहान की रिहाई के बदले पैसे की मांग से संबंधित कुछ पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे, जिसके दौरान कथित तौर पर विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण मृतक की मृत्यु हो गई। यह तर्क दिया जाता है कि मृतक और अपीलकर्ता एक दूसरे को जानते थे, एक ही इलाके में रहते थे और दोस्त थे, और ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान अपीलकर्ता की संलिप्तता के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी संदिग्ध हो जाती है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह समझने में विफल रही कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम नहीं रहा है।हालांकि अभियोजन पक्ष ने यह दावा किया कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी मौजूद थे, लेकिन उनके बयान अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं और वे असंगत तथा अविश्वसनीय हैं। इसके अलावा, यह आरोप है कि यह घटना रात के समय हुई थी, और यह स्वीकार किया गया है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने इस घटना को होते हुए नहीं देखा है।

24. श्री भरत ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलकर्ता का मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था, विशेषकर तब जब यह स्वीकार किया गया है कि मृतक और अपीलकर्ता मित्र थे। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में गंभीर खामियां हैं और वे अपीलकर्ता के अपराध को संदेह से परे साबित करने में अपर्याप्त हैं। इन आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और दोषसिद्धि और दंड का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

25. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश का समर्थन किया। यह निवेदन किया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने ठोस, विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके सभी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपने मामले को संदेह से परे सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है और अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दोष सिद्ध करने का निर्णय उचित ढंग से दर्ज किया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब अभियोजन पक्ष के साक्षी के बयानों को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो उनसे परिस्थितियों की वह पूरी कड़ी स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाती है, जो अपीलकर्ताओं को अपराध करने से जोड़ती है। अभिलेख पर साबित हुई परिस्थितियाँ—जिनमें मृतक का अपहरण, फिरौती की माँग, शव की बरामदगी, अपराध से संबंधित वस्तुओं की ज़ब्ती और चिकित्सीय साक्ष्य शामिल हैं—एक ऐसी अटूट कड़ी बनाती हैं, जो अचूक रूप से अपीलकर्ताओं के दोषी होने की ओर ही संकेत करती है और उनके दोषी होने के अलावा किसी भी अन्य संभावना को पूरी तरह से खारिज कर देती है।

26. श्री ठाकुर ने यह तर्क दिया है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए विरोधाभास और चूकें मामूली प्रकृति की हैं और अभियोजन पक्ष के मामले की जड़ तक नहीं जातीं है। साक्षी की गवाही में ऐसी विसंगतियां होना स्वाभाविक है और ये होती ही हैं; इन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए, अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्यों को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय ने इन पहलुओं को सही ढंग से समझा है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर भरोसा करने के लिए ठोस कारण दिए हैं।उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं में से एक के खिलाफ आरोप निर्धारित होने के बाद कुछ साक्षी की परीक्षा न किए जाने का विवाद्यक किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि विचारण के दौरान रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की विधिवत जांच की गई थी और अपीलकर्ताओं को जिरह का पूरा अवसर दिया गया था। अपीलकर्ताओं में से एक की आयु निर्धारण से संबंधित प्रक्रियात्मक पहलुओं का विधिवत पालन किया गया था और विचारण को अमान्य करने वाली कोई अवैधता या अनियमितता नहीं हुई है।

27. श्री ठाकुर का तर्क है कि अपीलकर्ताओं के कहने पर बरामद की गई वस्तुएं विधि के अनुसार विधिवत सिद्ध हैं और चिकित्सा एवं फोरेंसिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु हत्या थी, और शव को छिपाने का तरीका अभियोजन पक्ष के मामले को और मजबूत करता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद समग्र साक्ष्यों के आलोक में उचित विचार किया है। उनका कहना है कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि केवल जांच अधिकारी के बयान पर आधारित नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्यों के समग्र विश्लेषण से समर्थित है।विद्वान विचारण न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मूल्यांकन से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों को लागू किया है और सही निष्कर्ष निकाला है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी है और केवल अपीलकर्ताओं के अपराध के साथ ही सुसंगत है।

28. उपरोक्त तर्क के तहत, श्री ठाकुर का निवेदन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंड का आदेश किसी भी प्रकार की अवैधता, विकृति या खामी से ग्रस्त नहीं है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, और अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

29. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा ऊपर दिए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और साथ ही अत्यंत सावधानी से अभिलेखों का अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. दिनांक 27.09.2022 के आदेश पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी रवि खांडेकर की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें घटना की तिथि (06.02.2022) को नाबालिग होने के आधार पर उसकी आयु निर्धारित करने की मांग की गई थी। यह दावा किया गया था कि उसकी जन्मतिथि 12.09.2005 है, जिसका समर्थन उसकी प्रथम श्रेणी की अंकसूची और उसके पिता के शपथ पत्र से किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि फर्जी अंकसूची प्रस्तुत की गई थी और यह तर्क दिया कि घटना के समय आरोपी बालिग था। श्री **राम रावत बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 1439/2021, दिनांक 17.08.2022) के निर्णय का उल्लेख किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नाबालिग होने का निर्धारण किशोर न्याय बोर्ड के अनन्य क्षेत्राधिकार में आता है।

31. दोनों पक्षों की बात सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आरोपी रवि खांडेकर की उम्र का निर्धारण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, अधिनियम, 2015 के तहत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए। तदनुसार, आवेदन स्वीकार कर लिया गया, और दस्तावेज़ों तथा सबूतों के उचित सत्यापन के बाद, उम्र के निर्धारण के लिए मामला किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर को भेज दिया गया; साथ ही, आरोपी को जेल के बजाय बाल अवलोकन गृह (Child Observation Home) में भेजने का निर्देश दिया गया, और यह भी निर्देश दिया गया कि उसे 29.09.2022 को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए।

32. इसके बाद, 10.10.2022 को विचारण न्यायालय ने आरोप के बिंदु पर तर्क सुना। आरोपपत्र और उससे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर, न्यायालय ने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364-ए, 387, 302 (धारा 34 के साथ) और धारा 201 (धारा 34 के साथ) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है। तदनुसार, उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप निर्धारित किए गए,

उन्हें पढ़कर सुनाया गया और अभियुक्तों, अभिषेक दान और साहिल उर्फ शिबू खान को समझाया गया, जिस पर उन्होंने दोषी न होने का दावा किया और विचारण की मांग की।

33. 12.07.2023 को रवि खांडेकर के खिलाफ मामले में आरोप के बिंदु पर बहस के लिए सुनवाई सूचीबद्ध की गई थी। न्यायालय ने पाया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364-ए, 387, 302, 201 और 34 के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोप निर्धारित किया गया, पढ़कर सुनाए गए और अभियुक्त को समझाए गए, जिसने अपराध करने से इनकार कर दिया। यह पाया गया कि घटना दिनांक (06.02.2022) को रवि खांडेकर वयस्क (18 वर्ष का) था, और मामले को विचारण के लिए इस न्यायालय को वापस भेज दिया गया। अन्य सह-अभियुक्तों का विचारण 21.08.2023 और 22.08.2023 के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें रवि खांडेकर का विचारण भी उनके साथ ही किया जाना था। अभियोजन पक्ष के नौ साक्षी को समन जारी किए गए। इसके बाद, विभिन्न दिनांक पर, साक्षी को समन और जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन उनमें से अधिकांश उपस्थित नहीं हुए।

34. 06.04.2024 को पी डब्लू 6 शेख असलम उपस्थित हुए और उनका बयान लिया गया , और 29.04.2024 को पी डब्लू 1 आसिफ मोहम्मद उपस्थित हुए और उनका कथन लिया गया । उसी दिन अजीत पाल सिंह भी उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने अपने कथन को अनावश्यक बताते हुए कथन नहीं ली और उन्हें बरी कर दिया गया। 28.06.2024 तक समन जारी होते रहे और उसके बाद सुनवाई समाप्त हो गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

35. 23.08.2024 को रवि खांडेकर, अभिषेक दान और साहिल उर्फ शिबू सहित आरोपियों के खिलाफ मामला निर्णय के लिए सूचीबद्ध किया गया। आरोपी अपने-अपने अधिवक्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। दंड के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय ने पहले से निर्धारित आरोपों के अनुसार, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364-ए, 387, 302 (34 के साथ) और 201 (34 के साथ) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

36. दिया गया दंड :

1. धारा 363 आईपीसी: 7 वर्ष का कठोर कारावास + ₹1,000 का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 1 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।

2. धारा 364-ए आईपीसी: आजीवन कारावास + ₹1,000 का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।

3. धारा 387 आईपीसी: 7 वर्ष का कठोर कारावास + ₹1,000 का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 1 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।

4. धारा 302/34 आईपीसी: आजीवन कारावास + ₹1,000 का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।

5. धारा 201/34 आईपीसी: 3 वर्ष का कठोर कारावास + ₹1,000 का जुर्माना; जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास।

सभी दंड साथ-साथ चलेंगी।

8 फरवरी 2022 से 23 अगस्त 2024 तक की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत दी गई दंड के विरुद्ध समायोजित किया गया। अभियुक्तों को अपील के अधिकार और विधिक

सहायता की जानकारी के साथ निर्णय की प्रतियां नि:शुल्क उपलब्ध कराई गईं। दंड वारंट और निर्णय की प्रमाणित प्रतियां निष्पादन हेतु बिलासपुर केंद्रीय कारागार भेज दी गईं।

37. यह ध्यान देने योग्य है कि अंततः यह सिद्ध हो जाने के बावजूद कि आरोपी रवि खांडेकर घटना के दिन नाबालिग नहीं था और मामले को आगे की सुनवाई के लिए विधिवत रूप से विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया गया था, अभियोजन पक्ष ने उसके विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए नौ साक्षी का उल्लेख किया गया। इसके बावजूद, आरोपी रवि खांडेकर के संबंध में केवल दो गवाहों, अर्थात् पी डब्लू 1 आसिफ मोहम्मद और पी डब्लू 6 शेख असलम, की ही जांच की गई। शेष सात महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के साक्षी बार-बार समन जारी करने और यहां तक कि जमानती वारंट जारी करने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विचारण न्यायालय को सत्य का पता लगाने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए साक्षी को न्यायालयीन साक्षी के रूप में पेश करने, उनकी उपस्थिति अनिवार्य करने या उनसे पूछताछ करने से रोकने वाला कोई कानूनी प्रतिबंध या बाधा नहीं थी। पूर्ण अधिकार प्राप्त होने के बावजूद, विचारण न्यायालय ने शेष साक्षी की पूछताछ किए बिना ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने का विकल्प चुना। अधिकार क्षेत्र के इस परित्याग से आरोपी रवि खांडेकर को गंभीर हानि हुई है और निष्पक्षता, साक्ष्य की पूर्णता और विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर सुनवाई खतरे में पड़ गई है।

38. विचारणीय पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 363 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में न्यायसंगत ठहराया है?

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

39. अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जो अपहरण के लिए दंडनीय है। अपहरण को आईपीसी की धारा 359 के तहत परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा 359 के अनुसार, अपहरण दो प्रकार का होता है:

भारत से अपहरण और वैधानिक संरक्षकता से अपहरण। आईपीसी की धारा 361 वैधानिक संरक्षकता से अपहरण को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:

धारा 361: वैधानिक संरक्षकता से अपहरण

जो कोई भी 1[सोलह] वर्ष से कम आयु के किसी नाबालिग (यदि पुरुष हो) या 2[अठारह] वर्ष से कम आयु की किसी महिला, या किसी मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को, ऐसे नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के वैध अभिभावक की देखरेख से, ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना, अपहरण करता है, तो उसे ऐसे नाबालिग या व्यक्ति को वैध अभिभावकत्व से अगवा करना कहा जाता है।

40. आईपीसी की धारा 359 का उद्देश्य कम उम्र के बच्चों को अनुचित उद्देश्यों के लिए अपहरण या बहकावे से बचाना उतना ही है जितना कि नाबालिगों या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की वैधानिक संरक्षकता या अभिरक्षा रखने वाले माता-पिता और अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा करना। धारा 361 के चार घटक हैं।

1) किसी नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को अगवा करना या फुसलाकर ले जाना।

2) यदि नाबालिग लड़का है तो उसकी आयु सोलह वर्ष से कम होनी चाहिए, और यदि लड़की है तो उसकी आयु अठारह वर्ष से कम होनी चाहिए।

3) अगवा करना या फुसलाकर ले जाना ऐसे नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के वैध अभिभावक की देखरेख से बाहर होना चाहिए।

4) अगवा करना या फुसलाकर ले जाना ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना होना चाहिए।

41. जहां तक वैध संरक्षकता से किसी नाबालिग लड़के के अपहरण का संबंध है, उसके लिए आवश्यक तत्व हैं: (i) पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम थी; (ii) ऐसा नाबालिग वैध संरक्षक की देखरेख में था, और (iii) आरोपी ने ऐसे व्यक्ति को वैध संरक्षकता से बाहर निकाला या उसे बाहर जाने के लिए प्रेरित किया और ऐसा करना वैध संरक्षक की सहमति के बिना किया गया था।

42. एस. वरदराजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में आईपीसी की धारा 361 के उद्देश्य पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि यदि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर दे कि यद्यपि नाबालिग के पिता की सुरक्षा छोड़ने से ठीक पहले आरोपी ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी, फिर भी उसने किसी पूर्व चरण में नाबालिग को ऐसा करने के लिए उकसाया या राजी किया था, और यह माना कि यदि इनमें से किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य का अभाव है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आरोपी नाबालिग को वैध अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाने का दोषी है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"हालांकि, यह पर्याप्त होगा यदि अभियोजन पक्ष यह साबित कर दे कि यद्यपि नाबालिग के पिता की सुरक्षा छोड़ने से ठीक पहले आरोपी ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन उसने किसी पूर्व चरण में नाबालिग को ऐसा करने के लिए उकसाया या राजी किया था।यदि इनमें से किसी एक बात को साबित करने के लिए सबूतों की कमी है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि आरोपी नाबालिग को उसके वैध अभिभावक की देखरेख से बाहर ले जाने का दोषी है, केवल इसलिए कि वह वास्तव में अपने अभिभावक के घर या उस घर को छोड़ने के बाद, जहां उसके अभिभावक ने उसे रखा था, आरोपी के साथ मिल गई और आरोपी ने उसे अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर, उसे अपने अभिभावक के घर वापस न लौटने की उसकी योजना में मदद की।इसमें कोई संदेह नहीं कि अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका को, लड़की के इरादे को पूरा करने में सहायक माना जा सकता है। परंतु यह भूमिका, किसी नाबालिग को उसके वैध संरक्षक की देखरेख से निकल भागने के लिए उकसाने की सीमा तक नहीं पहुँचती; और इसलिए, इसे "ले जाने" (taking) के समतुल्य नहीं माना जा सकता है।

43. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, धारा 361 आईपीसी के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों के आलोक में,धारा 363 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए,तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. वरदराजन (उपरोक्त) में निर्धारित कानून के सिद्धांतों को लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से मृतक नाबालिग रेहान के पिता, पी.डब्ल्यू.-1 आसिफ मोहम्मद के कथन पर आधारित है। पी.डब्ल्यू 1 ने बताया है कि घटना वाले दिन अर्थात 06.02.2022 को शाम लगभग 5:00 बजे उनके बेटे रेहान

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

को उनके मोबाइल फोन पर एक फोन कॉल आया था। इसके बाद, रेहान ने अपनी माँ से 10 रुपये लेकर कहा कि वह कुरकुरे खरीदने जा रहा है और घर से निकल गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात का कोई आरोप नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों में से कोई भी घर आया, बहला-फुसलाकर, फुसलाकर या जबरदस्ती नाबालिग को उसके माता-पिता की विधिक देखरेख से दूर ले गया।

44. पी.डब्ल्यू 1 ने आगे बताया कि जब रेहान काफी देर तक घर नहीं लौटा, तो आसपास के इलाके और रिश्तेदारों के बीच उसकी तलाश की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद, रात में पी.डब्ल्यू 1 पुलिस स्टेशन गया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद ही मृतक रेहान के मोबाइल नंबर से पी.डब्ल्यू 1 के मोबाइल फोन पर कथित तौर पर फिरौती का फोन आया, जिसमें 50,00,000 रुपये की मांग की गई और पुलिस को सूचित न करने के लिए कहा गया। उक्त फोन आने पर पी.डब्ल्यू 1 ने फिर से पुलिस से संपर्क किया और उन्हें फिरौती की मांग के बारे में बताया।

45. साइबर सेल के विश्लेषण के आधार पर, मोबाइल नंबर कथित तौर पर आरोपी अभिषेक दान का पता लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे यूनिटी अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस पूछताछ के दौरान, आरोपी अभिषेक दान ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने सह-आरोपी साहिल उर्फ शिबू और रवि के साथ मिलकर रेहान को कोनी स्थित एक मुर्गी फार्म में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और शव को रानी गांव के पास छिपा दिया। उक्त खुलासे के आधार पर ही आगे की अन्वेषण किया गया ।

46. अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों, विशेष रूप से गवाह संख्या 1 और 9 (प्रफुल्ल कुमार सिंह) के बयान की सावधानीपूर्वक जांच से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स पी/ 1) शुरू में धारा 363 आईपीसी के तहत इस आधार पर दर्ज की गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाबालिग का अपहरण किया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा है कि आरोपियों ने नाबालिग रेहान को उसके माता-पिता की वैध देखरेख से "ले लिया" या "बहकाया" था, जो धारा 361 आईपीसी के तहत अपराध गठित करने के लिए अनिवार्य शर्त है।

47. इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि जब रेहान ने अपना घर छोड़ा, उस समय कोई भी आरोपी वहां मौजूद था, या उन्होंने नाबालिग को अपना पैतृक घर छोड़ने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन, लालच, दबाव या सक्रिय भूमिका निभाई हो। इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष के स्वयं के मामले के अनुसार, नाबालिग नाश्ता खरीदने के बहाने स्वेच्छा से घर से निकला था, और उस समय आरोपियों की कोई भी प्रत्यक्ष संलिप्तता साबित नहीं हुई थी।

48. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. वरदराजन (उपरोक्त) मामले में स्थापित कानूनी स्थिति को देखते हुए, नाबालिग के साथ आरोपी का मात्र बाद का संबंध, प्रलोभन या वैध अभिभावकत्व से सक्रिय रूप से ले जाने

के सबूत के अभाव में, आईपीसी की धारा 361 के तहत "ले जाने" या "फुसलाने" की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।इसलिए, यदि अभियोजन पक्ष की कहानी को अक्षरशः सच मान भी लिया जाए, तो भी आईपीसी की धारा 363 को लागू करने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व अप्रमाणित रहता है।

49. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी ने धारा 363 आईपीसी के तहत अपहरण का अपराध किया है, क्योंकि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य यह नहीं दर्शाते कि आरोपी ने नाबालिग रेहान को उसके माता-पिता की वैध देखरेख छोड़ने के लिए उकसाया, राजी किया या फुसलाया था। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दिया गया दोषसिद्धि विधिक रूप से अस्थिर है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

50. अब अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 364 ए के तहत भी दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 364 ए इस प्रकार है:

धारा 364 ए: फिरौती के लिए अपहरण, आदि

जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यपहरण या अपहरण के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसको क्षति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी यथोचित आशंका पैदा करेगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको क्षति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को क्षति या उसकी मृत्यु कारित करेगा जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से रोकने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. भारतीय दंड संहिता की धारा 364-ए का मामला **शेख अहमद बनाम तेलंगाना राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन आया, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364 ए में निहित प्रावधान पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :

12. अब हम धारा 364-ए का अध्ययन करके यह पता लगा सकते हैं कि इस धारा में अपराध के लिए किन तत्वों का उल्लेख है। धारा 364-ए का सारांश प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है:

(i) "जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करता है या उसे अगवा करता है या ऐसे अपहरण के बाद उसे अभिरक्षा में रखता है"

(ii) "और ऐसे व्यक्ति को जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देता है, या अपने आचरण से यह उचित आशंका उत्पन्न करता है कि ऐसे व्यक्ति को जान से मार दिया जाएगा या चोट पहुँचाई जाएगी,

(iii) या सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश करने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को चोट पहुँचाता है या उसकी मृत्यु का कारण बनता है"

(iv) **"वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।"**

धारा 364-ए में शामिल पहली आवश्यक शर्त यह है कि "जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करता है या उसे अगवा करता है या ऐसे अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है"। दूसरी शर्त "और" संयोजक से शुरू होती है। दूसरी शर्त के भी दो भाग हैं, अर्थात् (क) ऐसे व्यक्ति को जान से मारने या चोट पहुँचाने की धमकी देता है या (ख) अपने आचरण से यह उचित आशंका उत्पन्न करता है कि ऐसे व्यक्ति को जान से मार दिया जाएगा या चोट पहुँचाई जाएगी। उपरोक्त शर्त का कोई भी भाग पूरा होने पर अपराध की दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी। तीसरी शर्त "या" शब्द से शुरू होती है, अर्थात "या" किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाता है या उसकी मृत्यु का कारण बनता है ताकि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए या कोई कार्य करने या न करने के लिए या फिरौती का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सके।धारा 364-ए में "फिरौती के लिए अपहरण आदि" शीर्षक दिया गया है। फिरौती की मांग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपहरण धारा 364-ए के अंतर्गत पूर्णतः आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और साबित नहीं किया गया है क्योंकि यह अनिवार्य था जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशानराव गोरंत्याल के मामले में कहा था।

53. इस स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने **शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर** के मामलों में उठे विवाद और मतभेद को सुलझाते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना केवल द्वितीयक साक्ष्य के मामले में अनिवार्य है, जहां प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो या मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई हो। माननीय न्यायाधीशों ने आगे कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में द्वितीयक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त है, जैसा कि **अनवर पी.वी. (उपरोक्त)** में निर्धारित किया गया है और **शफी मोहम्मद (उपरोक्त)** में गलत तरीके से स्पष्ट किया गया है। यह इस प्रकार कहा गया था:

"61. अतः हम यह दोहरा सकते हैं कि धारा 65-बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के माध्यम से साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त है, जैसा कि अनवर पी.वी. (उपरोक्त) में उचित ढंग से कहा गया है, और शफी मोहम्मद (उपरोक्त) में त्रुटिपूर्ण तरीके से "स्पष्ट" किया गया है। ऐसे प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 65-बी(4) विधि की अनिवार्य आवश्यकता है। वास्तव में, टेलर बनाम टेलर मामले में प्रतिपादित पवित्र सिद्धांत, जिसका इस न्यायालय के कई निर्णयों में अनुसरण किया गया है, को भी लागू किया जा सकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी(4) स्पष्ट रूप से कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य केवल तभी स्वीकार्य है जब उसे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा नहीं। इसके विपरीत निर्णय लेने से धारा 65-बी(4) निरर्थक हो जाएगी।"

माननीय न्यायाधीशों ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि धारा 65 बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र अनावश्यक है यदि मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जाता है और यह लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन के मालिक द्वारा साक्षी के रूप में उपस्थित होकर और यह साबित करके किया जा सकता है कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की जाती है, उसके स्वामित्व में है और/या उसके द्वारा संचालित है। इस संदर्भ का उत्तर कंडिका 73.1,73.2 और 73.3 में इस प्रकार दिया गया है:

"73.1. अनवर पी.वी. (उपरोक्त), जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी पर इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि है।टोमासो ब्रूनो 7 में दिया गया निर्णय, प्रति-अशुरियम होने के कारण, विधि को उचित ढंग से निर्धारित नहीं करता है। इसके अलावा, शफी मोहम्मद (उपरोक्त) में दिया गया निर्णय और शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 8 के रूप में रिपोर्ट किया गया 3-4-2018 का निर्णय, विधि को उचित ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है।

73.2.उपरोक्त स्पष्टीकरण यह है कि यदि मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत किया जाए तो धारा 65-बी(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।लैपटॉप कंप्यूटर, कंप्यूटर टैबलेट या यहां तक कि मोबाइल फोन का स्वामी भी साक्षी के रूप में उपस्थित होकर यह सिद्ध कर सकता है कि संबंधित उपकरण, जिस पर मूल जानकारी पहली बार संग्रहीत की गई थी, उसी के स्वामित्व में है और/या उसी द्वारा संचालित किया जाता है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यदि "कंप्यूटर" किसी "कंप्यूटर सिस्टम" या "कंप्यूटर नेटवर्क" का हिस्सा है और ऐसे सिस्टम या नेटवर्क को भौतिक रूप से न्यायालय में लाना असंभव है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी प्रदान करने का एकमात्र साधन धारा 65-बी(1) के अनुसार, धारा 65-बी(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ ही हो सकता है। अनवर पी.वी. (उपरोक्त) के कंडिका 24 का अंतिम वाक्य, जिसमें लिखा है "... यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है ...", को स्पष्ट किया जाता है; इसे "साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत ..." शब्दों के बिना पढ़ा जाना चाहिए।इस स्पष्टीकरण के साथ, अनवर पी.वी. (उपरोक्त) के कंडिका 24 में वर्णित कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

73.3. कंडिका 64 (उपरोक्त) में जारी किए गए सामान्य निर्देशों का पालन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से निपटने वाले न्यायालयों द्वारा किया जाएगा, ताकि उनके संरक्षण और उचित चरण में प्रमाण पत्र के उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके।ये निर्देश सभी कार्यवाही में तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67-सी के तहत नियम और निर्देश तथा डेटा प्रतिधारण शर्तें तैयार नहीं हो जातीं है।

54. रविंदर सिंह उर्फ काकू बनाम पंजाब राज्य के मामले में 9 सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त) के निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रमाण पत्र

के स्थान पर मौखिक साक्ष्य पर्याप्त नहीं हो सकता क्योंकि धारा 65 बी(4) विधि की अनिवार्य आवश्यकता है। माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कि धारा 65 बी(4) विधि की अनिवार्य आवश्यकता है और निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है कि

"21. उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विधि के अनुरूप होना चाहिए था और न्यायालय में स्वीकार्य होने के लिए प्रमाणीकरण आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए था। जैसा कि ऊपर सही कहा गया है, ऐसे प्रमाण पत्र के स्थान पर मौखिक साक्ष्य, जैसा कि वर्तमान मामले में है, पर्याप्त नहीं हो सकता है क्योंकि धारा 65 बी (4) कानून की एक अनिवार्य आवश्यकता है।"

55. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर लौटते हुए, अपीलकर्ताओं/आरोपियों को आईपीसी की धारा 364-ए के तहत अपराध के लिए मुख्य रूप से मृतक नाबालिग रेहान के मोबाइल फोन से किए गए कथित फिरौती कॉल और आरोपी व्यक्तियों के कहने पर बाद में बरामद की गई वस्तुओं के आधार पर दोषी ठहराया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

56. अभियोजन पक्ष ने मृतक के पिता पी.डब्ल्यू.-1 आसिफ मोहम्मद और पी.डब्ल्यू.-9 प्रफुल्ल कुमार सिंह के कथन पर भरोसा किया है, जिनके मुख्य परीक्षण में दिए गए बयान प्रतिपरीक्षा में काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं।पी.डब्ल्यू.1 ने बताया है कि 06.02.2022 को उनके नाबालिग बेटे रेहान के लापता होने के बाद, उनके मोबाइल फोन नंबर 9827198522 पर 50,00,000 रुपये की फिरौती की मांग वाला एक कॉल आया, जो कथित तौर पर मृतक के मोबाइल नंबर 7869512324 से किया गया था, और पुलिस को सूचित न करने की धमकी दी गई थी। इसी आधार पर इस अपराध को फिरौती से जुड़े अपराध में परिवर्तित कर दिया गया।

57. साइबर सेल के विश्लेषण के आधार पर, पुलिस ने कथित तौर पर कॉल विवरण का पता लगाकर आरोपी अभिषेक दान का पता लगाया, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पुलिस पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर सह-आरोपी साहिल उर्फ शिबू खान और रवि खांडेकर की संलिप्तता का खुलासा किया, जिसके परिणामस्वरूप रतनपुर रोड, रानी गांव के पास से मृतक रेहान का शव बरामद हुआ, साथ ही आरोपियों के कहने पर ज्ञापन एक्स पी/9 से एक्स पी/15 के तहत मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

58. इसके अलावा, तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर, पी डब्लू 11 जय प्रकाश गुप्ता के साक्ष्य पर भी भरोसा किया गया है, जिन्होंने बयान दिया है कि 07.02.2022 को आरोपी व्यक्तियों के ज्ञापन दर्ज किए गए थे और उसके बाद मृतक का शव बरामद किया गया था और मृतक के मोबाइल फोन सहित कई वस्तुएं जब्त की गईं, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर फिरौती के लिए कॉल करने में किया गया था।अभियोजन पक्ष ने पी डब्लू 13 हरविंदर सिंह, जो उस समय रतनपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ थे, से भी पूछताछ की, जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर शव की बरामदगी और सीआरपीसी कि धारा 174 के तहत जीरो मर्ज के पंजीकरण की पुष्टि की।

59. हालांकि, केवल मोबाइल फोन की बरामदगी और कथित फिरौती कॉल के आधार पर, स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य के बिना यह साबित नहीं होता कि अपीलकर्ता ने स्वयं फिरौती की मांग की थी या नाबालिग का अपहरण करने और जान से मारने की धमकी देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था, आईपीसी की धारा 364-ए की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि प्रारंभिक गुमशुदगी की रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी, और मृतक के पिता (पी डब्लू -1) ने स्वयं प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि जब उनका बेटा घर से निकला था तो उन्होंने किसी भी आरोपी को उसे ले जाते हुए नहीं देखा था। यद्यपि फिरौती के लिए कथित कॉल पर भरोसा किया गया है, लेकिन यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है कि यह कॉल स्वयं अपीलकर्ताओं द्वारा की गई थी, जिससे आईपीसी की धारा 364-ए की कठोर धाराएं लागू हो सकें।

60. इसके अलावा, कथित सीसीटीवी फुटेज के साथ किए गए व्यवहार के कारण अभियोजन पक्ष का मामला भी संदिग्ध हो जाता है।यह तथ्य अभिलेख में आई है कि सीसीटीवी फुटेज घटना के ठीक अगले दिन परिवादी के पड़ोसी से प्राप्त कर लिया गया था, फिर भी इसे लगभग 45 दिनों की अस्पष्ट देरी के बाद ही जब्त किया गया। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को जब्त करने में इस तरह की अत्यधिक और अस्पष्ट देरी उसकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और कथित फुटेज की पवित्रता, निरंतरता और प्रामाणिकता के बारे में गहरा संदेह पैदा करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

61. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65-बी के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए एक पूर्व शर्त है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनवर पी.वी. (उपरोक्त) में स्पष्ट रूप से कहा है और अर्जुन पंडितराव खोटकर (उपरोक्त) में इसकी पुष्टि की है।ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में, कथित सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है और किसी भी उद्देश्य से इसकी जांच नहीं की जा सकती है।

62. इसलिए, यह मानते हुए भी कि ऐसा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया था, उस पर अपीलकर्ताओं को कथित अपराध से जोड़ने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाए जाने का कोई भी निष्कर्ष विधिक रूप से अस्थिर है। इस चूक से अभियोजन पक्ष का मामला और कमजोर हो जाता है और अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि में पहले से मौजूद खामियों में इजाफा होता है।

63. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 364-ए के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मुख्य रूप से मृतक के मोबाइल फोन से कथित रूप से किए गए फिरौती के कॉल और आरोपी के कहने पर दिखाई गई बरामदगी पर आधारित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं फिरौती की मांग की थी या उन्होंने नाबालिग रेहान का अपहरण जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की रकम वसूलने के लिए किया था।

64. पी डब्लू-1 द्वारा दर्ज कराई गई प्रारंभिक रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी, और यह स्वीकार किया गया है कि किसी भी आरोपी को मृतक को उसकी वैध संरक्षकता से ले जाते हुए नहीं देखा गया था।कथित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अर्थात् सीसीटीवी फुटेज, को जब्त करने में 45 दिनों की अत्यधिक विलंब के कारण और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण पूरी तरह से अविश्वसनीय माना जाता है, जिससे यह विधि की दृष्टि से अस्वीकार्य हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, मोबाइल फोन की कथित बरामदगी और अभियोजन पक्ष द्वारा फिरौती की मांग का जो दावा किया गया है, जो विधिक रूप से स्वीकार्य और स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है, वह धारा 364-ए आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है।

65. तदनुसार, आईपीसी की धारा 364-ए के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि गंभीर कानूनी और साक्ष्य संबंधी खामियों से ग्रस्त है और इसलिए विधि की दृष्टि से अस्थिर है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

66. अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 387 के तहत भी दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 368 में निम्नलिखित प्रावधान है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

387. ज़बरदस्ती वसूली करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट का भय दिखाना।—जो कोई भी, ज़बरदस्ती वसूली करने के उद्देश्य से, किसी व्यक्ति को—चाहे वह व्यक्ति स्वयं हो या कोई अन्य—मृत्यु या गंभीर चोट का भय दिखाता है या दिखाने का प्रयास करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, और वह जुर्माने का भी भागी होगा।

67. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि धारा 387 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को उचित संदेह से परे साबित करना आवश्यक है: --

i) कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या गंभीर चोट का भय उत्पन्न किया या उत्पन्न करने का प्रयास किया;
ii) कि ऐसा भय जानबूझकर उत्पन्न किया गया था; और
iii) कि उक्त कृत्य जबरन वसूली करने के उद्देश्य से किया गया था, अर्थात् बेईमानी से पीड़ित को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सौंपने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से।

68. उपरोक्त विधिक आवश्यकताओं को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष धारा 387 आईपीसी के मूलभूत तत्वों को साबित करने में विफल रहा है।अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मृतक के मोबाइल फोन से पी डब्लू 1 द्वारा कथित रूप से प्राप्त फिरौती की कॉल पर आधारित है।हालांकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की जा चुकी है, अभियोजन पक्ष निर्णायक रूप से यह साबित नहीं कर पाया है कि

अपीलकर्ताओं ने स्वयं उक्त कॉल की थी या उनमें से किसी ने जानबूझकर पी डब्लू -1 को मौत या गंभीर क्षति का भय दिखाया था।

69. महत्वपूर्ण बात यह है कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई स्वतंत्र या पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ताओं द्वारा पी.डब्ल्यू.-1 या मृतक को धन उगाहने के आशय से मृत्यु या गंभीर क्षति की कोई विशिष्ट धमकी दी गई थी।कथित धमकी अस्पष्ट है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और विधिक रूप से स्वीकार्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया है।अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी ऐसे प्रत्यक्ष कृत्य को साबित करने में भी विफल रहा है जो यह दर्शाता हो कि उन्होंने जानबूझकर भय उत्पन्न करने का प्रयास किया ताकि फिरौती दी जा सके। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा किसी भी ऐसे प्रत्यक्ष कृत्य को साबित करने में भी विफल रहा है जो यह दर्शाता हो कि उन्होंने जानबूझकर भय उत्पन्न करने का प्रयास किया ताकि फिरौती दी जा सके।

70. मृत्युदंड या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देने के प्रत्यक्ष और जानबूझकर किए गए कृत्य के प्रमाण के अभाव में, मात्र फिरौती की मांग का आरोप, जो स्वयं विधि के अनुसार सिद्ध नहीं हुआ है, स्वतः ही धारा 387 आईपीसी के तहत अपराध को आकर्षित नहीं कर सकता है। इस प्रावधान के तहत दोषसिद्धि को अनुमानों या अटकलों के आधार पर बरकरार नहीं रखा जा सकता है, विशेष रूप से तब जब अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए प्राथमिक साक्ष्य में गंभीर विधि और साक्ष्य संबंधी खामियां है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

71. अतः, इस न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध धारा 387 आईपीसी के आवश्यक तत्वों को साबित करने में विफल रहा है। परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से अस्थिर है और इसे अपास्त किये जाने योग्य है।

72. विचारणीय अगला प्रश्न यह होगा कि क्या मृतक मोहम्मद रेहान की मृत्यु हत्या के आशय से की गई थी?

73. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विशेष रूप से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्शनी पृष्ठ 23) देने वाले डॉ. अविनाश सिंह (पीडब्ल्यू-10) के बयान पर भरोसा करते हुए, यह राय दी है कि जांच करने पर उन्हें शव पर निम्नलिखित क्षति/लक्षण मिले हैं:

मृतक ने काली जींस और हरे रंग की सैंडो वेस्ट पहनी हुई थी; उसके बाल सामान्य थे, मुँह आधा खुला हुआ था और दोनों आँखें खुली थीं। मृतक के हाथों और पैरों में अकड़न पाई गई थी, तथा वीर्य बहता हुआ मिला। उसकी पीठ पर कंधे के नीचे एक लाल रंग का घाव मिला, जिसकी लंबाई 1 इंच x 2 सेमी थी; दोनों हाथों की सभी उंगलियाँ नीली पड़ गई थीं।

गले के नीचे कमर के नीचे एक लिगेचर मार्क मिला, जिसकी लंबाई 9 इंच x 2 सेमी थी।

मरने वाले का गला खोलने पर, हायॉयड बोन टूटी हुई मिली।

सभी चोटें मौत से पहले की थीं, एक फटी हुई थी। घाव ओसीसीपिटल हेड पर मिला और 0.5 सेमी लंबा था।
स्कल और स्पाइनल कॉर्ड में ब्लीडिंग और हेमेटोमा नहीं मिला।
थोरैसिक मेम्ब्रेन, पसलियां और सॉफ्ट टिशू कंजेस्टेड थे।
फेफड़े, लैरिंक्स, और ट्रैकिया, दायां और बायां फेफड़ा, और पेरी-ऑन्कोलिक मेम्ब्रेन जाम हो गए थे।
दिल का दायां चैंबर खून से भरा था, और बायां चैंबर खाली था।
बड़ी वेसल नॉर्मल थीं।
पेट की कैविटी, आंतों की लाइनिंग, मुंह और इसोफेगस जाम हो गए थे।
पेट में खून के साथ बिना पचा खाना था।
छोटी आंत में बिना पचा खाना था, और बड़ी आंत में मल और गैस थी।
लिवर, स्प्लीन और किडनी में रुकावट थी।
यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल था, और अंदरूनी और बाहरी जेनिटेलिया नॉर्मल थे।
मसल्स और बोन की बीमारी या डिफॉर्मिटी, बोन फ्रैक्चर या बोन डिसलोकेशन का कोई निशान नहीं था।"
पोस्टमार्टम रिपोर्ट (**एक्स पी**//23) के अनुसार, मृतक की मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई।मृत्यु का कारण हृदयाघात और श्वसन विफलता था और उनकी मृत्यु की प्रकृति "हत्यात्मक" थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

74. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क पर विचार करने के बाद, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि मृतक मोहम्मद रेहान की मृत्यु हत्या थी, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित तथ्य का निष्कर्ष है।यह न तो अनुचित है और न ही अभिलेखों के विपरीत है।हम इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

75. अंतिम प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302/34 और 201/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं को उचित ठहराया गया है?

76. आसिफ मोहम्मद पी.डब्ल्यू.-1, अजीत पाल सिंह पी.डब्ल्यू.-2, आनंद गुप्ता पी.डब्ल्यू.-3, शेख असलम पी.डब्ल्यू.-6 और मोहम्मद फरहाद पी.डब्ल्यू.-8 के बयान सहित रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302/34 आईपीसी और 201/34 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि और दंड विधिक रूप से मान्य है।

77. साक्षी के साक्ष्यों का परीक्षण :

पी.डब्ल्यू-1 (मोहम्मद आसिफ) ने बताया कि वह आरोपियों को जानता था और उनमें से कुछ को अक्सर इलाके में देखता था।
हालांकि पीडब्ल्यू-1 के कथन परिचितता को स्थापित करती है, लेकिन यह मृतक के अपहरण या हत्या से अपीलकर्ताओं को जोड़ने वाला प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान नहीं करती है।
किसी इलाके में मात्र उपस्थिति आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है।

पीडब्ल्यू-2 (अजीत पाल सिंह) ने मृतक रेहान की गतिविधियों का पता लगाया और पुष्टि की कि वह लापता हो गया था।हालांकि, पीडब्ल्यू-2 ने अपीलकर्ताओं की मृत्यु का कारण बनने या अपहरण में भाग लेने में प्रत्यक्ष संलिप्तता का कोई सबूत नहीं दिया है।सबूत परिस्थितिजन्य और अनिर्णायक हैं, जो उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त हैं। पीडब्ल्यू 3 (आनंद गुप्ता) ने 50 लाख रुपये की कथित फिरौती की मांग का उल्लेख किया, जो मकसद का संकेत तो देता है लेकिन अपीलकर्ताओं को हत्या या अपहरण के कृत्य से ठोस रूप से जोड़ने में विफल रहता है।प्रत्यक्ष या विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पुष्टि के बिना केवल मकसद के आधार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।पीडब्ल्यू 6 (शेख असलम) ने मृतक पर हमले और रेहान का गला घोंटने के लिए बेल्ट के इस्तेमाल के बारे में कथन किया गया ।हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गर्दन पर रस्सी के निशान की पुष्टि करती है, लेकिन पीडब्ल्यू-6 के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि आरोपी में से किसने यह कृत्य किया।पीडब्ल्यू 6 और प्रत्येक अपीलकर्ता की गवाही के बीच का संबंध कमजोर है और विधिक रूप से निर्णायक नहीं है। पीडब्ल्यू 8 (मोहम्मद फरहाद) ने बेल्ट और मोबाइल फोन की बरामदगी के बारे में बताया गया।कथन से आरोपी से वस्तुओं की बरामदगी तो साबित होती है, लेकिन यह निर्णायक रूप से साबित नहीं होता कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल आरोपी ने हत्या करने या सबूतों को गायब करने में किया था। अभिरक्षितों की अभिरक्षा श्रृंखला में कमियां हैं और अभियुक्तों के कार्यों की पहचान में असंगतताएं हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

78. विचारण न्यायालय के तर्क का मूल्यांकन:विचारण न्यायालय ने उपरोक्त कथनो के आधार पर अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302/34 और 201/34 के तहत दोषी ठहराया गया। हालांकि, एक सावधानीपूर्वक विश्लेषण से पता चलता है:

• इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अपीलकर्ता संबंधित समय पर अपराध स्थल पर मौजूद था, न ही हत्या के कृत्य में सभी आरोपियों की सक्रिय भागीदारी का कोई विश्वसनीय प्रमाण है।

• विचारण न्यायालय द्वारा जिन कथनो पर भरोसा किया गया है, वे असंगत हैं, काफी हद तक परिस्थितिजन्य हैं, और धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए आवश्यक उचित संदेह से परे सबूत की सीमा को पूरा नहीं करती हैं।

• आईपीसी की धारा 201 के संबंध में, इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने जानबूझकर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया;किसी बेल्ट या मोबाइल फोन की बरामदगी मात्र से इस प्रावधान के तहत अपराध सिद्ध नहीं होता, जब तक कि अपराध को छिपाने के विशिष्ट आपराधिक आशय का सबूत न हो।

79. पी.डब्ल्यू.-1, पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3, पी.डब्ल्यू.-6 और पी.डब्ल्यू.-8 के साक्ष्य, जब उनका गहन मूल्यांकन किया जाता है, तो धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या या आईपीसी कि धारा 201 के तहत साक्ष्य को गायब करने के लिए अपीलकर्ताओं के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहते हैं। विचारण न्यायालय ने अनुमानों, अटकलों और अपुष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर अत्यधिक भरोसा किया है, जो दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए अपर्याप्त है।इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302/34 और 201/34 आईपीसी के तहत दिया गया दंड और दोषसिद्धि विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

80. अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क और धारा 363, 364-ए, 387, 302 और 201 आईपीसी के तहत अपराधों पर लागू विधिक प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, इस न्यायालय की यह राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दी गई दंड और फैसले विधिक रूप से अस्थिर हैं और निम्नलिखित कारणों से अपास्त किए जाने योग्य हैं:

• आईपीसी की धारा 363 (विधिक संरक्षकता से अपहरण) के तहत दोषसिद्धि:

आईपीसी की धारा 361 वैध संरक्षकता से अपहरण को परिभाषित करती है, और इसके आवश्यक तत्वों में शामिल हैं

(i) किसी नाबालिग को वैध संरक्षकता से बाहर ले जाना या फुसलाना,

(ii) नाबालिग का सोलह वर्ष से कम आयु का होना यदि पुरुष हो या अठारह वर्ष से कम आयु की महिला हो,

(iii) संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना, और

(iv) आरोपी द्वारा प्रलोभन या बहकाना।

वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष पहले और सबसे महत्वपूर्ण तत्व को साबित करने में विफल रहा है - कि आरोपी ने नाबालिग मोहम्मद रेहान को उसके माता-पिता की वैध देखरेख से सक्रिय रूप से ले लिया या फुसलाकर ले गया। पी.डब्ल्यू-1 के बयान के अनुसार, मृतक स्वेच्छा से नाश्ता खरीदने के लिए घर से निकला था, उस समय आरोपी वहां मौजूद नहीं था, न ही उसने उसे बहलाया-फुसलाया था या प्रेरित किया था। अभियुक्त की बाद की संलिप्तता, भले ही स्वीकार कर ली जाए, विधिक अर्थों में "ले जाना" नहीं मानी जा सकती

है, जैसा कि एस. वरदराजन (उपरोक्त) मामले में कहा गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि नाबालिग द्वारा स्वेच्छा से संरक्षकता छोड़ने के बाद मात्र सुविधा प्रदान करना आईपीसी की धारा 361 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। परिणामस्वरूप, आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषसिद्धि अपूर्ण और विधिक रूप से अपर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित है और इसलिए यह मान्य नहीं है।

• **आईपीसी की धारा 364-ए (फिरौती के लिए अपहरण) के तहत दोषसिद्धि:** आईपीसी की धारा 364-ए के तहत (i) किसी व्यक्ति का अपहरण या उसे हिरासत में रखने, (ii) मृत्यु या चोट की धमकी देने, या मृत्यु या चोट की उचित आशंका पैदा करने, और (iii) फिरौती या कार्रवाई के लिए मजबूर करने के लिए ऐसा करने का सबूत आवश्यक है। आईपीसी की धारा 364-ए के तहत दोषसिद्धि मुख्य रूप से मृतक के मोबाइल फोन से किए गए कथित फिरौती के कॉल और आरोपी के कहने पर कुछ वस्तुओं की बाद में बरामदगी पर आधारित है। हालांकि, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ताओं ने स्वयं फिरौती के लिए फोन किया था या प्रत्यक्षदर्शी-1 या मृतक को धमकी दी थी। शुरुआती एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थी, और स्वयं गवाह-1 ने किसी भी आरोपी को अपने बेटे को ले जाते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा, कथित सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत किए गए थे, जिससे वे कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य हो गए। सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने में 45 दिनों की अत्यधिक देरी इसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को और भी कमज़ोर करती है। इसलिए, आईपीसी की धारा 364-ए के तहत दोषसिद्धि कानूनी रूप से अस्वीकार्य और अविश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है और स्पष्ट रूप से अस्थिर है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• आईपीसी की धारा 387 के तहत दोषसिद्धि (मृत्यु या गंभीर चोट का भय पैदा करके उद्दापन): आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध गठित करने के लिए, यह साबित होना चाहिए कि आरोपी ने संपत्ति की उगाही के उद्देश्य से जानबूझकर किसी व्यक्ति को मौत या गंभीर चोट का भय पैदा किया। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई स्वतंत्र या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ताओं ने प्रत्यक्षदर्शी-1 या मृतक को जानबूझकर भयभीत किया था। अप्रमाणित फिरौती के फोन कॉल से अनुमानित कथित धमकी अस्पष्ट, अप्रमाणित और मान्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है।विधिक प्रमाण के बिना मात्र आरोप दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इन साक्ष्य संबंधी कमियों को नजरअंदाज करते हुए अनुमान और अटकलों पर भरोसा किया, जो स्थापित विधि के तहत अस्वीकार्य है।

• आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और आईपीसी की धारा 201 (सबूत छुपाना) के तहत दोषसिद्धि: हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित होता है कि मोहम्मद रेहान की मौत हत्या के कारण हुई थी, लेकिन किसी भी अपीलकर्ता को हत्या या शव को छिपाने के कृत्य से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष या विश्वसनीय सबूत नहीं है। पुलिस पूछताछ के दौरान दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति बयानों पर अभियोजन पक्ष की निर्भरता प्रत्यक्ष साक्ष्य का विकल्प नहीं हो सकती, विशेषकर तब जब स्वतंत्र साक्षी ने अपीलकर्ताओं की कथित संलिप्तता की पुष्टि नहीं की हो। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अधूरी, टूटी हुई है और उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को पूरी तरह से साबित करने में विफल है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि के लिए परिस्थितियों की एक अटूट श्रृंखला की आवश्यकता होती है जो निर्णायक रूप से आरोपी के अपराध की ओर ले जाती है, जो कि वर्तमान मामले में अनुपस्थित है।

• प्रक्रियात्मक और साक्ष्य संबंधी अनियमितताएं: कई प्रक्रियात्मक खामियों ने विचारण को और भी दूषित कर दिया है:

i) आरोप निर्धारित होने के बाद सभी अपीलकर्ताओं के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्षी से पूछताछ नहीं की गई, जिसके कारण अपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए।

ii) अन्वेषण अधिकारियों, गवाह संख्या 11 और गवाह संख्या 14 के बयानों में विरोधाभास और चूक से शव की बरामदगी के समय और परिस्थितियों के बारे में संदेह पैदा होता है।

iii) मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का अनुपालन किए बिना प्रस्तुत किए गए थे, जिससे वे अस्वीकार्य हो गए।

iv) महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जब्त करने में देरी उसकी विश्वसनीयता को कम करती है। ये सभी कमियां मिलकर यह संकेत देती हैं कि मुकदमे की प्रक्रिया में आरोपियों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे दोषसिद्धि हुए जो कानून की दृष्टि से मान्य नहीं हैं।

• अनुमान और अटकलों पर निर्भरता:

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए काफी हद तक अपुष्ट बयानों, स्वीकारोक्ति बयानों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भरोसा किया। जैसा किमोहम्मद हुसैन @ जुल्फिकार अली (उपरोक्त) में ज़ोर दिया गया है,किसी भी व्यक्ति को अनुमान या संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है; अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे अपराध साबित करना होगा।वर्तमान मामले में, प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव के साथ-साथ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिस्थितिजन्य साक्ष्य में मौजूद कमियों से यह स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष विकृत हैं और आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत हैं।

81. प्रारंभ में, यह न्यायालय यह दर्ज करना आवश्यक समझता है कि अभियोजन पक्ष का मामला जांच के चरण के साथ-साथ विचारण के दौरान भी गंभीर और मौलिक चूक से दूषित है, जो कार्यवाही की निष्पक्षता और वैधता की जड़ पर प्रहार करता है।अन्वेषण एजेंसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी फुटेज के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन करने में विफल रही, जिससे ऐसे साक्ष्य कानूनी रूप से अस्वीकार्य और भरोसे के योग्य नहीं रह गए। विचारण न्यायालय की चूक भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।यद्यपि यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका था कि आरोपी रवि खांडेकर घटना वाले दिन नाबालिग नहीं था और मामले को आगे की सुनवाई के लिए विधिवत विचारण न्यायालय में वापस भेज दिया गया था, फिर भी अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए नौ साक्षीयो का उल्लेख किया गया;हालांकि, केवल दो साक्षीयो, अर्थात पी डब्लू 1 आसिफ मोहम्मद और पी डब्लू 6 शेख असलम की ही जांच की गई।बाकी सात महत्वपूर्ण अभियोजन गवाह बार-बार समन और जमानती वारंट जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। न्याय प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत विचारण न्यायालय को अपने व्यापक और लाभकारी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकने वाली कोई कानूनी बाधा या वैधानिक प्रतिबंध नहीं था, जिसके तहत वह सत्य का पता लगाने और निष्पक्ष एवं पूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए साक्षी को न्यायालय के साक्षी के रूप में तलब कर सकता है, उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर सकता है या उनकी जांच कर सकता है। पूर्ण अधिकार प्राप्त होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण साक्षी की जांच कराए बिना ही अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को बंद करने का विकल्प चुना।न्यायिक कर्तव्य के इस परित्याग से आरोपी रवि खांडेकर को गंभीर हानि हुई है और निष्पक्षता, साक्ष्यों की पूर्णता और विधिवत प्रक्रिया के मानदंड पर विचारण कमजोर पड़ गया है।

82. भारी मन से, यह न्यायालय इन अपीलों को स्वीकार करने के लिए विवश है, न कि कथित अपराध की प्रकृति के कारण, जो निस्संदेह गंभीर है, बल्कि अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर प्रक्रियात्मक और तकनीकी खामियों के कारण, जिससे संवैधानिक सुरक्षा उपायों और आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप, इस न्यायालय के पास संदेह का लाभ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

83. अन्वेषण और विचारण में उपर्युक्त चूकों के संचयी प्रभाव को देखते हुए, यह न्यायालय यह मानने के लिए विवश है कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 363, 364-ए, 387, 302 और 201 के तहत धारा 34 के साथ कथित अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है। अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करना, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की अस्वीकार्यता और महत्वपूर्ण साक्षी की जांच न होने से अभियोजन पक्ष के मामले में गंभीर और दुर्गम कमियां पैदा हो गई हैं। जघन्य प्रकृति के अपराधों से संबंधित अभियोग में, सबूत के मानक को कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, और न ही अनुमान, अटकलों या मामले की जड़ तक जाने वाली तकनीकी अनियमितताओं के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, और पर्याप्त न्यायिक संयम के साथ, यह न्यायालय मानता है कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि कानूनी रूप से अस्थिर हैं और उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिससे अपीलों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

84. तदनुसार, आपराधिक अपीलें सी.आर.ए. संख्या 1656/2024, सी.आर.ए. संख्या 1696/2024 और सी.आर.ए. संख्या 1954/2024 स्वीकार की जाती हैं।दिनांक 23.08.2024 के दोषसिद्धि तथा दंड के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।यह कहा गया है कि अपीलकर्ता जेल में हैं।यदि वे किसी अन्य मामले में आवश्यक न हों, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

85. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-ए (अब बीएनएसएस की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती संबंधित न्यायालय के समक्ष तुरंत प्रस्तुत करें, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी दें कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में,उपरोक्त अपीलकर्ताओं को इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।

86. विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड और इस निर्णय की प्रति अनुपालन और आवश्यक कार्यवाही के लिए तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को वापस भेज दी जाए।

87. मामले को समाप्त करने से पहले, यह न्यायालय इस मामले में जांच के संचालन के तरीके के संबंध में अपनी गंभीर चिंता दर्ज करना उचित समझता है। अन्वेषण में कई गंभीर खामियां और चूक पाई गई हैं, जिनमें अनिवार्य

वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करना, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को लापरवाही से संभालना और उन्हें जब्त करने में देरी करना, बरामदगी के समय और तरीके के बारे में विरोधाभास और कानून के अनुसार महत्वपूर्ण साक्षी की जांच सुनिश्चित करने में विफलता शामिल है। इस प्रकार की कमियां जांच एजेंसी की ओर से उचित सावधानी और पेशेवर कठोरता की कमी को दर्शाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है और न्याय का उल्लंघन हुआ है।

88. इस निर्णय की एक प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक को भेजी जाए, ताकि वे इसकी उचित जाँच करें, संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाएँ, और ज़रूरी निर्देश जारी करें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य की जाँचों में,विशेषकर गंभीर और जघन्य अपराधों के मामलों में, कानूनी प्रक्रियाओं और मानकों का कठोरता से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

89. यह न्यायालय यह भी कहने के लिए विवश है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने और दोषसिद्धि दर्ज करने में लापरवाही और सतही दृष्टिकोण अपनाया, आपराधिक मुकदमों को नियंत्रित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों, साक्ष्य की स्वीकार्यता और दोषसिद्धि के लिए आवश्यक सबूत के मानक की अनदेखी की। भौतिक विरोधाभासों, प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और अस्वीकार्य साक्ष्यों की ठीक से जांच न करने के कारण अस्थिर निष्कर्ष निकले हैं।

90. इस संदर्भ में, सूचना, मार्गदर्शन और कड़ाई से अनुपालन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को इस निर्णय की एक प्रति भी वितरित की जाए, ताकि आपराधिक न्यायनिर्णय में साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और स्थापित कानूनी सिद्धांतों के निष्ठापूर्वक अनुप्रयोग को सुदृढ़ किया जा सके।

91. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रमाणित प्रतियां छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक और राज्य भर के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों को आवश्यक सूचना, अनुपालन और उचित अनुवर्ती कार्यवाही के लिए तुरंत भेजें।

सही/-	**सही/-**
रमेश सिन्हा	**बिभु दत्ता गुरु**
मुख्य न्यायाधीश	**न्यायाधीश**

हेड नोट :

जहां अभियोजन पक्ष ने फिरौती के लिए अपहरण और संबद्ध अपराधों को स्थापित करने के लिए कथित फिरौती कॉल, कॉल विवरण रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर भरोसा किया, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विधि में अस्वीकार्य होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur